

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज् अदालत उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

शेताराम खैरह

श्री खैरह

किस्म प्रकरण :- राजस्व वाद

मुकद्दा सं. 268/D

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तागील में जारी हुये।
7/12/17	<p>यह वाद वादी के अधिवक्ता श्री शिवकुमार ने उपस्थित होकर प्रतिवादीगणों के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53/88 के तहत पेश किया। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादीगण को जरिये समन् तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 15.12.17 को पेश हो।</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 8.2.18 को प्रस्तुत करें।</p>	
15/1/18	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 8.2.18 को प्रस्तुत करें।</p>	
8.1.18	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 5/2.18 को प्रस्तुत करें।</p>	
5/2/18	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 5.3.18 को प्रस्तुत करें।</p>	

पत्रकार/पत्रकारान के अधिकार
21-3-19

पीठासीन अधिकारी की मिति में/प्रमाण
अवकाश पर गले हुए है, इसलिए प्रकरण
उनके समक्ष दिनांक 11-4-18...को
प्रस्तुत करें।

पत्रकार/पत्रकारान के अधिकार
11-4-18

पीठासीन अधिकारी की मिति में/प्रमाण
अवकाश पर गले हुए है, इसलिए प्रकरण
उनके समक्ष दिनांक 11-6-18...को
प्रस्तुत करें।

21-6-18

पत्रावली नम्बर भाप के अर शिविल में
अदल सेवा केन्द्र रातगा में पेरा हुरी
वकी वादीगण ने उपस्थित होकर जापना
पत्र पैरा कट निवेदन दिया कि वाड को
हम अब आगे नही चलाना चाहते
है इसलिए वादीगण का वाड जरिफे
विहील खारीज कट दिया जावे। वादीगण
के निवेदन पर वादीगण का वाड
अदिले विहील खारीज दिया जाता है।
पत्रावली फलत सुभाए होकर तम्पर से
कम होकर उफार दाखिल हो।